न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–38 / 2025

प्रार्थीः–

बुद्धाराम पुत्र श्री सोनाराम जाति चौधरी निवासी कम्मों का बाडा (कोटडी) तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
2. खीमाराम पुत्र सोनाराम
3. गजरीदेवी पत्नि बाबुराम
4. गीगाराम पुत्र सोनाराम
5. चेनाराम पुत्र दलाराम
6. नाबालिग जगदीश पुत्र भगाराम संरक्षक सुजकीदेवी पत्नि भगाराम
7. नाबालिग तुलसी पुत्री भगाराम संरक्षक सुजकीदेवी पत्नि भगाराम
8. नाबालिग मंजू पुत्री भगाराम संरक्षक सुजकीदेवी पत्नि भगाराम
9. नाबालिग मनिषा पुत्री भगाराम संरक्षक सुजकीदेवी पत्नि भगाराम
10. नाबालिग मोहनलाल पुत्र चुनाराम संरक्षक सन्तुदेवी
11. नाबालिग वगताराम पुत्र भगाराम सरंक्षक सुजकीदेवी
12. शिल्पा पुत्री भगाराम
13. संगीता पुत्री भगाराम
14. सुजकीदेवी पत्नि भगाराम
15. सुजाराम पुत्र दलाराम
16. सन्तुदेवी पत्नि चुनाराम पिता चुनाराम
17. सांवलराम पुत्र दलाराम
18. नाबालिग सावित्री पुत्री चुनाराम संरक्षक सन्तुदेवी
19. सीतादेवी पत्नि पेमाराम
20. हरियाराम पुत्र हिन्दूराम

सभी जाति कलबी चौधरी सभी निवासीयान कम्मों का बाडा (कोटडी) तहसील समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

:: आदेश ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:11:08 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 14.01.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र [illegible] की [illegible] 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 261, 278, 285, 296, 303, 317, 409 व 412 कुल रकबा 28.6679 हैक्टेयर भूमि ग्राम कम्मों का बाड़ा तहसील समदडी में अवस्थित है उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

''बघाराम पुत्र सोनाराम'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, जनआधार, पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक डायरी में प्रार्थी का नाम वास्तविक नाम ''बुधाराम पुत्र सोनाराम'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, जनआधार, पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक डायरी आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''बुधाराम पुत्र सोनाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि के खसरा संख्या 261, 278, 285, 296, 303, 317, 409 व 412 कुल रकबा 28.6679 हैक्टेयर भूमि ग्राम कम्मों का बाड़ा तहसील समदडी में प्रार्थी का नाम ''बघाराम पुत्र सोनाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के राशन कार्ड, जनआधार, पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''बुधाराम पुत्र सोनाराम'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''बघाराम पुत्र सोनाराम'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:11:08 IST
Reason: SelfAttested

''बुधाराम पुत्र सोनाराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 261, 278, 285, 296, 303, 317, 409 व 412 कुल रकबा 28.6679 हैक्टेयर भूमि ग्राम कम्मों का बाड़ा तहसील समदडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''बघाराम पुत्र सोनाराम'' के स्थान पर ''बुधाराम उर्फ बघाराम पुत्र सोनाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:11:08 IST
Reason: SelfAttested